उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं0 - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हरतक, 1942 का नियम – 129)

नौमी देवी वगै० वनाम मो0 खालिद परवेज

आदेश फलक तारीख.....से....तक। जिला - गुमला

वाद सं0 :- 19/2007-08

वाद का प्रकार :- म्यूटेशन रिविजन (Mutation Revisoin)

अपीलार्थी श्रीमती नौमी देवी पति—स्व सोहराई राम वगै० ग्राम—सिसई रोड गुमला सरना टोली गुमला थाना+जिला-गुमला द्वारा नामान्तरण वाद सं0-18/2005-06 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नही रह गई है।

अतः म्यूटेशन रिविजन वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,